P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-1* ISSUE-11* February- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

सतीश कुमार
शोधार्थी,
समाजशास्त्र विभाग,
टाँटिया विश्वविद्यालय,रीको,
श्रीगंगानगर, राजस्थान

सारांश

''जब स्त्री आर्थिक दृष्टि से आत्म–निर्भर हो जायेगी, तो वह सामाजिक दृष्टि से पुरूषों की बराबरी सहज ही प्राप्त कर लेगी।

जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि स्त्री तो प्रजीवन शक्ति, सन्तुलन शक्ति है, केवल आबादी बढ़ाने वाला उपकरण मात्र नहीं है, स्त्री तो स्वयं प्रकृति है लेकिन दुःख यह है कि प्रकृति के विनाश का पहला शिकार स्त्री ही होती है। स्त्री–पुरूष एक दूसरे के सृजन के साथी है। इनमें से एक के बिना भी सृजन असम्भव है। जीवन भी स्त्री के होने से ही सम्भव है वह जीवन की ऊष्मा का ही दूसरा रूप है। समाज ने स्त्री के लिए जितनी दोहरी स्थितियाँ निर्मित की हों, पर कुदरत ने अपनी सृजन क्षमता, अपना होने का वरदान भेजा है। स्त्री को अपनी क्षमता एवं इस वरदान को पहचानना होगा।

मुख्य शब्द : स्त्री, आर्थिक दृष्टि, आत्म–निर्भर,प्रजीवन शक्ति,समाज, सृजन क्षमता, वरदान।

प्रस्तावना

''भारत में स्त्रियों की स्थिति'' का विषय अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर हम भारतीय समाज को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो उसकी 2001–2011 की जनसंख्या 58 करोड़ 64 लाख (48.46 प्रतिशत), जो स्त्रियों का है, को जानना, देखना और समझना आवश्यक है। शिक्षा के प्रभाव स्वरूप भारत में स्त्रियों की स्थिति भूतकाल में क्या रही थी?, वर्तमान में क्या रही है? और भविष्य में क्या होगी?, इनका ज्ञान होना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है, जब हम समाजशास्त्री के रूप में समाज का गहन अध्ययन करेंगें।

''एक नारी को शिक्षित करने का अर्थ एक परिवार को शिक्षित करना है।'' वर्तमान युग को वैचारिकता का युग कहा जा सकता है। स्वतन्त्रता से पूर्व अर्थात् प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि उनके समान व उनसे श्रेष्ठ थी और इस काल में नारी सबला से अबला की ओर परिवर्तित हो गई। नारी की ''आँखों में आँसू'' निरक्षर दृष्टि, शारीरिक यातना और बलात्कार को झेलने वाली साधारण सम्मान से वर्जित नारी के रूप में देखी गई। अगर स्त्री या माता अथवा गृहिणी के संस्कार शिक्षा–दीक्षा आदि उत्तम नहीं होगी तो वह समाज और राष्ट्र को श्रेष्ठ सदस्य कैसे दे सकती है?, समाज के लिए स्त्री का स्वस्थ, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान होना जरूरी है और वह शिक्षा से ही सम्भव है। जब स्त्री की स्वयं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि दृष्टिकोणों से निम्न होगी तो वह परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में क्या अपना योगदान दे पायेंगी, यह प्रश्न अत्यन्त चिन्तनशील है क्योंकि एक तो स्त्रियाँ स्वयं राष्ट्र की आधी से कम जनसंख्या है तथा दूसरा, बच्चे, युवा, प्रौढ़ और वृद्धजन उन पर अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं। भारत में स्वतन्त्रता के बाद से महिला कल्याण के लिए एवं 90 के दशक के बाद से ''महिला सशक्तिकरण'' हेतु सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर निरन्तर प्रयास किये जाते रहे हैं, साथ ही भारत सरकार ने ''राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्पन्नता नीति – 2001'' को घोषित कर ''महिला सशक्तिकरण'' के सम्बन्ध में अनेक कदम उठाये हैं। इसलिए महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की मुख्य भूमिका है।

अध्ययन क्षेत्र

शोधार्थी ने अपना अध्ययन क्षेत्र श्रीगंगानगर को चुना है। यह भारत, पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा जिला है। यह 26 अक्टूबर, 1927 को अस्तित्व में आया था। थार रेगिस्तान के रेतीले टीलों से आच्छादित राजस्थान प्रदेश के उत्तरी भू–भाग का ''श्रीगंगानगर'' जिला कृषि क्षेत्र तथा राजस्थान के अन्न क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र राव बीका ने वर्ष में बीकानेर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि बीकानेर के इतिहास में ही श्रीगंगानगर का इतिहास छिपा है। राव बीका के उपरान्त राव लूणकरण ने बीकानेर राज्य पर राज किया। लूणकरण के पुत्र जर सिंह ने बीकानेर राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए अनेक युद्ध किये। वीर और निर्भीक राजपूत शासकों के साहसपूर्ण प्रयत्नों से 15वीं शताब्दी में बीकानेर राज्य का निर्माण किया गया। वर्तमान में श्रीगंगानगर जिले के नाम से ज्ञात यह भू–भाग, भूतपूर्व बीकानेर रियासत का हिस्सा रहा है लेकिन 30 मार्च, 1949 को मामूली समायोजन के साथ श्रीगंगानगर क्षेत्र को जिले का नाम मिला।

समस्या अभिकथन

शिक्षा के बिना पूर्ण जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती क्योंकि अब महिलाओं का विकास शिक्षा के बिना सम्भव नहीं है और उत्तम माता, संस्कारिक सशक्त बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है। महिला की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक स्थिति को सुधारना बहुत आवश्यक हो गया है। हमारे देश में पहले महिलाओं को शिक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं थे लेकिन अब स्त्री को पुरूष के समान अधिकार है। शिक्षा के बिना स्त्री का जीवन अंधकारमय है। शिक्षा के अभाव में बाल–विवाह, सती–प्रथा तथा विधवा विवाह ना होना तथा स्त्री को घर की चारदीवारी तक ही रखना आदि को समाप्त करने के लिए शिक्षा की अति आवश्यकता है। नारी आज भी पारिवारिक एवं सामाजिक प्रथाओं से जकड़ी हुई है।

अध्ययन विधि

साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, विधि प्रयोग की गयी है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की क्या भूमिका रही ?
2. क्या समाज में महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार प्राप्त है।
3. क्या आज की शिक्षा पद्धति उन्हें सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा दे रहा है।
4. वर्तमान समय में महिला–पुरूष साक्षरता में कितना अन्तर है?
5. क्या दलित और पिछड़े वर्ग की बालिकाएँ शिक्षा ग्रहण कर अपने आपको हर क्षेत्र में सशक्त बनाने का प्रयास कर रही ?

शोध की परिकल्पनाएँ

1. शिक्षा ने महिलाओं में सशक्तिकरण के लिए महत्ती भूमिका निभायी है।
2. महिलाओं को अन्धविश्वासों, जादू–टोना, धार्मिक भेदभाव, छूआछूत, जात–पात से ऊपर उठने में शिक्षा की भूमिका अहम रही है।
3. शिक्षा के कारण ही आज महिलायें, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।
4. कुरीतियों को त्यागने में शिक्षा का योगदान रहा है।
5. शिक्षा से महिलाओं में सशक्तिकरण हुआ है जिससे कई पीढ़ियों का उद्धार हुआ।

निष्कर्ष

समाज में महिलाओं का स्थान पुरूषों के समान ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज महिला अबला नारी के रूप सुदृढ़ होकर पुरूष से कदम से कदम मिलाने को प्रयासरत है और उपर्युक्त अध्ययन से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे–जैसे महिलाओं का शिक्षा की ओर रूझान बढ़ा है अर्थात् वे शिक्षित हुई हैं, वैसे–वैसे वे सभी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ हुई है तथा आत्मनिर्भर बनी हैं। अतः महिला और पुरूष दोनों रथ के पहियों के समान है। यदि एक निर्बल और घटिया हुआ तो समाज का रथ निर्विघ्न आगे नहीं बढ़ सकता है। स्पष्ट है कि शिक्षित नारी का उभरता हुआ कदम क्या होगा, समय ही बतायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *लवानिया, एम.एम. (1989),''समाज शास्त्रीय अनुसंधान का तर्क एवं विधियाँ'', रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।*
2. *अंसारी, एम.ए. (2001), ''महिला और मानवाधिकार'', ज्योति प्रकाशन, जयपुर।*
3. *मिश्रा के.के. (1965), '''विकास का समाजशास्त्र'', वैशाली प्रकाशन, गोरखपुर।*
4. *श्रीवास्तव, सुधा रानी (1999), ''भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति'',कॉमनवेल्थस पब्लिशर्स, नई दिल्ली।*
5. *जैन, प्रतिभा (1998), ''भारतीय स्त्री : सांस्कृतिक सन्दर्भ'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।*
6. *तिवारी, आर.पी. (1999), ''भारतीय नारी : वर्तमान समस्याएँ एवं समाधान'', नई दिल्ली।*
7. *बघेला, डॉ. हेत सिंह (1999), ''शिक्षा मनोविज्ञान'', विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा*
8. *डॉ. एस.एन. शर्मा (1984), ''आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान'' नेहू विश्वविद्यालय, शिलांग (मेघालय)*
9. *सिन्हा, डी.आर. (1982), ''सोसाइटी इन ट्राईबल इण्डिया'', बी.आर. पब्लिकेशन कार्पोरेशन, दिल्ली*
10. *श्रीवास्तव, एल.आर.एन. (1966), ''दी प्रोब्लम ऑफ इन्टीग्रेशन ऑफ दी ट्राईबल पिपुल'', बोम्बे टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज*
11. *सक्सेना, ए.बी. (1972), ''एनवायरनमेन्टल ऐज्यूकेशन'', भार्गव पुस्तक हाउस, आगरा 12.रूहेला, एस.पी. (1970), ''सोशियोलोजी ऑफ दी टीचिंग प्रोफेशन इन इण्डिया'',न्यू दिल्ली*